न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 05/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/5)

1. रामपत पुत्र श्री चन्द जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (मृतक)

1/1 खजानी देवी पत्नी रामपत
1/2 सुरेश कुमार पुत्र रामपत
1/3 शकुन्तला पुत्री रामपत
1/4 सीता पुत्री रामपत
1/5 सतवीर सिह पुत्र रामपत

जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश चन्द्र पुत्र श्री चन्द जाति जाट साकिन प्लॉट नं. 33 रिको एरिया नजदीक सत्यम डेयरी नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सरस्वती पुत्री श्रीचन्द पत्नी विनोद कुमार जाति जाट साकिन मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रोशनी पुत्री श्रीचन्द पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कमला पुत्री श्रीचन्द पत्नी हरपाल जाति जाट साकिन मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. कलावती पुत्री श्रीचन्द पत्नी फुसाराम जाति जाट साकिन मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. धन्नी बैवा श्रीचन्द जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री विजय कुमार श्रंगी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 01.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) भादरा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 17.01.2022 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट रामपत ने तहसीलदार भादरा में प्रार्थना पत्र पेश कर मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 02.12.2020 उक्त वर्णित कृषि भूमि में श्रीचन्द के हिस्से तक भूमि मे से श्रीचन्द के नाम दर्ज भूमि का इंतकाल मुझ प्रार्थी के नाम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दर्ज कर तस्दीक किए जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.11.2022 द्वारा वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री बालकिशन शर्मा की ओर से श्री विजय कुमार श्रंगी एडवोकेट जरिये अधिकार पत्र उपस्थित होकर उनकी ओर से बहस की।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के पिता श्रीचन्द द्वारा अपनी स्वय की खातेदारी भूमि चक 7 एम.एस.आर के तहसील भादरा के खाता सं. 82/78 की 13.915 हैक्टयर भूमि मे से 1/4 हिस्से की वसीयत दिनांक 02.12.2020 को अपीलान्ट के पक्ष मे कर दी थी। अपीलान्ट के पिता श्रीचन्द का देहान्त दिनांक 10.06.2021 को हो चुका है। अपीलान्ट ने वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार भादरा मे प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं वसीयत के गवाह पेश तथा बयान करवाकर वसीयत प्रमाणित करवा दी गई थी। कब्जा काश्त भूमि पर अपीलान्ट का है। तहसीलदार के समक्ष प्रकरण जैरकार होते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा एक तथाकथित वसीयत दिनांक 25.03.2021 को पेश की तथा कहा कि इस वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जावे। जिस पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति पेश की गई तथा दोनो पक्षो को सुना गया। पिता की मानसिक स्थिति सही नही थी, उस वक्त पिता श्रीचन्द दिनांक 22.03.2021 से 26.03.2021 तक सिरसा Hospital में Icu भर्ती थे। दूसरी वसीयत रेस्पोडेन्ट की विजयसिह एडवोकेट ने तस्दीक की थी वो भी दिनांक 24.03.2021 से 27.03.2021 हिसार Hospital में भर्ती थें। एक दावा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा मे पेश किया जिसे उसके द्वारा विड्रा कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को बिना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कारण, बिना आधार खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट की तथाकथित फर्जी वसीयत थी। नोटेरी के हस्ताक्षर नही थे, वसीयत प्रमाणित भी नही थीं अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा का आदेश दिनांक 17.01.2022 निरस्त किया जावे। तथा अपीलान्ट की वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1983 पेज 651, RRD 1983 पेज 712, RRD 1994 पेज 505, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अभिभाषक अपीलान्ट बिना न्यायालय की अनुमति फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किया है ऐसे दस्तावेज बहस की स्टेज पर पेश नही कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय में ऐसे दस्तावेज पेश क्यो नही किया। अपीलान्ट को कोई दस्तावेज पेश करना हो तो पहले न्यायालय की अनुमति पर प्रार्थना पत्र धारा 41–27 के साथ पेश करना चाहिये। इसके साथ अपीलान्ट ने हमारी वसीयत को फर्जी बताया है, अगर हमारी वसीयत फर्जी है तो अपीलान्ट ने FIR क्यो नही दर्ज करवाई, अपीलान्ट ने माना भी है कि भूमि पैतृक है ओर विरासत में मिली है, अपीलान्ट की वसीयत अनुसार श्रीचन्द के हिस्से मे इतनी भूमि नही आ सकती है। मेरी वसीयत अगर फर्जी होती तो मे रामपत को हिस्सा मे क्यो डालता । इसलिए दूसरी वसीयत दिनांक 25.03.2021 लागू होती है। वसीयत को तस्दीक करवाना जरूरी नही होता है, दोनो के गवाह व बयान व शपथ पत्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वसीयत बाबत सिविल न्यायालय मे जांच करवाने को कहा है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2014 (1) 196 , RRT 2004 (2) 1140 , RRT 2024 (1) 25 , RRT 2022 (2) 1193 , का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे श्री श्रीचंद पुत्र श्री सोहनाराम निवासी सरदारगढीया तहसील भादरा द्वारा निष्पादित दो वसीयत पाई गई है, पहली नोटेरी सत्यापित वसीयत दिनांक 02.12.2020 को निष्पादित की गई। द्वितीय नोटेरी सत्यापित वसीयत दिनांक 25.03.2021 को निष्पादित की गई। अपीलान्ट द्वारा द्वितीय वसीयत दिनांक 25.03.2021 को सही नही होना बताते हुए प्रथम वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण चाहा है। RRT 2024 (1) 25 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि राजस्व न्यायालयो को वसीयत की विधिमान्यता निर्णित करने का कोई अधिकार नही है यह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है। हस्तगत प्रकरण में चूंकि भूमि विशेष के लिए दो वसीयत निष्पादित की जानी संज्ञान मे आई है तथा दोनो वसीयतग्रहिता द्वारा वसीयत सही होना प्रतिवेदित किया है। ऐसी स्थिति में वसीयत की विधिमान्यता के संबंध में निर्णय पारित करने के लिए संक्षम सिविल न्यायालयो मे पक्षकारो को चाराजोही की जानी चाहिए। उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2022 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2022 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर